भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2243

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत निधि का उपयोग

2243. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत आवंटित तथा उपयोग की गई कुल निधि कितनी है तथा वर्तमान में देशभर में कितने क्रिटिकल केयर ब्लॉक परिचालित हैं;

(ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रोटोकॉल के अंतर्गत भौतिक अवसंरचना के पूर्ण होने तथा विशेषज्ञ कार्मिकों की भर्ती के बीच बनी निरंतर खाई के क्या कारण हैं;

(ग) छत्तीसगढ़ में विशेषज्ञों (एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर नर्स) के रिक्त पदों की जिला-बार स्थिति तथा जनजातीय आबादी को सेवा प्रदान करने पर उसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि नई सुविधाएं पूर्ण होते ही कार्मिकों से युक्त एवं कार्यशील हो जाएं, इस संबंध में शुरू किसी अनिवार्य "रेडिनेस सर्टिफिकेशन" अथवा "भर्ती-एकीकृत" अनुमोदन नीति का ब्यौरा क्या है और चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित विशिष्ट लेखा-परीक्षा के लिए समय-सीमा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) कतिपय केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) घटकों के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसे स्वास्थ्य सेवा वितरण, जन स्वास्थ्य कार्रवाई और स्वास्थ्य अनुसंधान को एकीकृत करने वाले सुधारों के माध्यम से भारत की जन स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु लागू किया गया है, जिससे महामारी और अन्य जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जन स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता में वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएम-एबीएचआईएम के तहत केंद्र स्तर पर निर्गत और व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अनुमोदित, निर्माणाधीन और कार्यशील क्रिटिकल केयर ब्लॉकों (सीसीबी) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जन स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना को सुदृढ़ करने और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच में सुधार करने के लिए पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसेवित और हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए, को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। । ऐसी सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर प्रदान की जाती है, जिन्हें भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों के अभिलेखों (आरओपी) के रूप में अनुमोदित किया जाता है, जो एनएचएम मानदंडों और संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन होता है। चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नव सृजित स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की समय पर भर्ती और तैनाती के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर काम करता है। कुशल मानव संसाधनों की उपलब्धता और प्रतिधारण में सुधार के लिए, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा वितरण के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आपातकालीन प्रसूति देखभाल और जीवन रक्षक एनिस्थिसिया कौशल में सामान्य आवासीय चिकित्सा अधिकारियों के प्रशिक्षण सहित मौजूदा स्वास्थ्य कर्मियों के दुर्गम क्षेत्र भत्ते, आवास, प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन और मौजूदा स्वास्थ्य कर्मियों के बहु-कौशल जैसे उपायों को लागू करने में सहायता दी जाती है।

हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई) 2023-24 के अनुसार, छत्तीसगढ़ सहित देश के आदिवासी क्षेत्रों में रिक्त विशेषज्ञ पदों (एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, स्टाफ नर्स आदि) का विवरण निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:
https://www.mohfw-dohfw.gov.in/static/uploads/2026/05/57202cf30629539e4d0fb0a2f700ac62.pdf।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत निगरानी एक सुदृढ़, बहुस्तरीय ढांचे के माध्यम से की जाती है जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एनपीसीसी बैठकों के दौरान अनुमोदित लक्ष्यों के लिए राज्य-वार प्रमुख लक्ष्यों की समीक्षा, आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) के माध्यम से प्रदर्शन का नियमित मूल्यांकन शामिल है। इसके अतिरिक्त, वार्षिक सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) कार्यक्रम कार्यान्वयन, स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने और प्रमुख संकेतकों पर प्रगति का स्वतंत्र, वास्तविक मूल्यांकन प्रदान करते हैं, जिससे कमियों की पहचान, प्रक्रिया सुधार और राज्य और जिला स्तरों पर जवाबदेही को सुदृढ़ बनाना संभव हो पाता है।

अनुलग्नक-I

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय निर्गत और व्यय

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2025-26	
		केंद्रीय निर्गत (करोड़ रुपये में)	व्यय (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6.77	2.76
2	आंध्र प्रदेश	59.32	98.86
3	अरुणाचल प्रदेश	0.88	0.98
4	असम	164.17	209.85
5	बिहार	76.85	128.08
6	चंडीगढ़	5.13	8.75
7	छत्तीसगढ़	32.78	55.33
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	7.18	1.02
9	दिल्ली	40.85	7.09
10	गोवा	0.61	1.06
11	गुजरात	100.52	167.54
12	हरियाणा	19.19	32.73
13	हिमाचल प्रदेश	93.27	103.63
14	जम्मू और कश्मीर	49.69	89.56
15	झारखंड	89.02	148.37
16	कर्नाटक	199.75	332.91
17	केरल	26.45	44.08
18	लद्दाख	1.03	0.93
19	लक्षद्वीप	0.32	0.29
20	मध्य प्रदेश	130.42	227.36
21	महाराष्ट्र	221.13	368.56
22	मणिपुर	8.77	13.37
23	मेघालय	23.03	25.12
24	मिजोरम	2.05	4.23
25	नागालैंड	3.30	6.57
26	ओडिशा	137.19	228.65
27	पुडुचेरी	9.00	13.76

28	पंजाब	71.66	119.44
29	राजस्थान	189.31	315.51
30	सिक्किम	4.90	5.54
31	तमिलनाडु	172.51	283.44
32	तेलंगाना	151.12	251.87
33	त्रिपुरा	3.57	3.83
34	उत्तर प्रदेश	211.88	511.46
35	उत्तराखंड	33.88	37.65
36	पश्चिम बंगाल	91.42	152.37

नोट:

1. उपरोक्त निर्गत केंद्र सरकार के अनुदान से संबंधित हैं और इसमें राज्य के हिस्से का योगदान शामिल नहीं है।
2. व्यय में वर्ष की शुरुआत में केंद्रीय निर्गत, राज्य द्वारा जारी की गई राशि और अव्ययतित शेष राशि के लिए व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और अनंतिम है।

अनुलग्नक-II

पीएम-एबीएचआईएम के सीएसएस घटकों के तहत अनुमोदित, प्रगतिशील, कार्यशील क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या, कार्यशील

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत इकाइयाँ	कार्य प्रगति पर है (कार्यशील)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1
2	आंध्र प्रदेश	24	24
3	अरुणाचल प्रदेश	1	0
4	असम	27	18
5	बिहार	38	35
6	चंडीगढ़	1	0
7	छत्तीसगढ़	23	21
8	दिल्ली	9	0
9	डीएनएच और डीडी	1	(1)
10	गोवा	2	0
11	गुजरात	32	25 (3)
12	हरियाणा	22	8
13	हिमाचल प्रदेश	9	8
14	जम्मू और कश्मीर	10	9
15	झारखंड	23	22
16	कर्नाटक	34	27 (4)
17	केरल	14	11
18	मध्य प्रदेश	50	42 (8)
19	महाराष्ट्र	36	36
20	मणिपुर	2	2
21	मेघालय	3	3
22	मिजोरम	1	1
23	नागालैंड	1	1
24	ओडिशा	28	20 (6)
25	पुडुचेरी	4	4
26	पंजाब	22	22
27	राजस्थान	38	32 (1)
28	सिक्किम	1	1
29	तमिलनाडु	39	22 (15)
30	तेलंगाना	31	21 (9)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत इकाइयाँ	कार्य प्रगति पर है (कार्यशील)
31	त्रिपुरा	2	1
32	उत्तर प्रदेश	74	63
33	उत्तराखंड	5	4
34	पश्चिम बंगाल	23	22
	कुल	**631**	**506 (47)**
* लद्दाख और लक्षद्वीप में सीसीबी का कोई प्रावधान नहीं			
